उत्तर मध्य रेलवे

प्रधान कार्यालय
प्रयागराज- 211015

संख्या : 797-ई/गज/ग्रुप 'बी' सेले./सीबीटी/ट्रैफिक/70%/2023-24 दिनांक : 18 .01.2023

प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक,
मुख्य यातायात योजना प्रबंधक, मुख्य मालभाड़ा यातायात प्रबंधक, अपर महाप्रबंधक, वरिष्ठ उप महाप्रबंधक, महाप्रबंधक/केंद्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन, प्रधान वित्त सलाहकार, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण, मुख्य कारखाना प्रबंधक - झाँसी एवं सिथौली कारखाना, मंडल रेल प्रबंधक - प्रयागराज, आगरा एवं झाँसी, वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक - प्रयागराज, आगरा एवं झाँसी, वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी - प्रयागराज, आगरा एवं झाँसी, वरिष्ठ मंडल संरक्षा अधिकारी - प्रयागराज, आगरा एवं झाँसी, वरिष्ठ ईडीपीएम - प्रयागराज, आगरा एवं झाँसी, उप मुख्य कार्मिक अधिकारी/राजपत्रित/मुख्यालय/निर्माण, सभी उप मुख्य सतर्कता अधिकारी, उप मुख्य यातायात प्रबंधक/कानपुर, वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/आईआर, झाँसी एवं सिथौली कारखाना, वरिष्ठ विधि अधिकारी, सहायक कार्मिक अधिकारी/आईआर एवं सहायक विधि अधिकारी/मुख्या., मंडल परिचालन प्रबंधक/सहायक परिचालन प्रबंधक - प्रयागराज, आगरा एवं झाँसी, प्रधानाचार्य - ईटीसी/कानपुर, सीटा/कानपुर, आईआरटीएमटीसी/प्रयागराज तथा एसटीसी/झाँसी, वरिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी/उत्तर मध्य रेलवे.

अधिसूचना

विषय : रिक्ति चक्र 01.01.2023 से 31.12.2024 की रिक्तियों के लिए केंद्रीकृत कंप्यूटर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा (सीबीटी) द्वारा परिचालन विभाग में वेतन मैट्रिक्स लेविल-8 में 70% पदोन्नति कोटा की रिक्तियों को भरने के लिए ग्रुप 'सी' से ग्रुप 'बी' में सहायक परिचालन प्रबंधक/सहायक यातायात प्रबंधक के पद पर पदोन्नति हेतु चयन।

संदर्भ : रेलवे बोर्ड का पत्र सं. ई(जीपी)2022/2/4 दिनांक 28.06.2022, 04.10.2022 एवं 18.10.2022

रेलवे बोर्ड के संदर्भाधीन पत्रों के अनुसार रिक्ति चक्र 01.01.2023 से 31.12.2024 की रिक्तियों को भारतीय रेल राष्ट्रीय अकादमी (NAIR), वडोदरा द्वारा आयोजित केंद्रीकृत कंप्यूटर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रकार परीक्षा (सीबीटी) द्वारा परिचालन विभाग में वेतन मैट्रिक्स लेविल-8 में 70% पदोन्नति कोटा के अंतर्गत ग्रुप 'सी' से ग्रुप 'बी' में सहायक परिचालन प्रबंधक/सहायक यातायात प्रबंधक के पद पर पदोन्नति हेतु चयन परीक्षा आयोजित की जाएगी। इस चयन के लिए भारतीय रेल राष्ट्रीय अकादमी, वडोदरा द्वारा 70% (पदोन्नति कोटा) के अंतर्गत दिनांक **19.02.2023** को मुख्य परीक्षा तथा दिनांक **05.03.2023** को पूरक परीक्षा आयोजित की जाएगी।

1. रिक्तियों के मूल्यांकन का विवरण निम्नानुसार है :-

प्रकार	अनारक्षित	अ.जा.	अ.ज.जा.	कुल
70% पदोन्नति कोटा	04	01	01	06
30% सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा (एलडीसीई)	03	-	-	03

रेलवे बोर्ड के दिनांक 18.08.2022 के पत्र संख्या ई(जीपी)2022/2/20 द्वारा परिपत्रित कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 17.05.2022 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/1/2020-Estt.(Res-II) में दिए गए बेंचमार्क नि:शक्तता से संबंधित अनुदेशों का पालन इस चयन/एलडीसीई में किया जा रहा है।

2. पात्रता :

रेलवे बोर्ड के दिनांक 27.12.2019 के पत्र संख्या ई(जीपी)2019/2/25 (आरबीई 216/2019) के अनुसार ग्रुप 'सी' के वे सभी कर्मचारी जो पे मैट्रिक्स में लेविल 6 और इससे ऊपर के लेविल में कार्यरत हैं और जिन्होंने पे मैट्रिक्स में लेविल 6 और उसके ऊपर के लेविल में तीन वर्ष की लगातार सेवा पूरी कर ली है (इसमें समरूप प्रीरिवाइज्ड ग्रेड पे में की गई लगातार सेवा भी शामिल है), वे 70% कोटा के अंतर्गत ग्रुप 'बी' चयन के लिए पात्र होंगे।

यह पात्रता पूरी तरह से अनुलग्नक 'ए' (मुख्य सूची) तथा अनुलग्नक 'बी' (आरक्षित सूची) में संलग्न एकीकृत वरीयता सूची पर आधारित होगी।

इस चयन परीक्षा में शामिल होने के लिए इस रेलवे के परिचालन विभाग के पात्र कर्मचारियों की अनंतिम एकीकृत वरीयता सूची अनुलग्नक 'ए' (मुख्य सूची) तथा आरक्षित कर्मचारियों की सूची अनुलग्नक 'बी' के रूप में संलग्न है। आरक्षित सूची (अनुलग्नक 'बी') में शामिल कर्मचारी नोट करें कि मुख्य सूची में से जितने कर्मचारी चयन परीक्षा में शामिल होने के लिए अपनी असहमति देंगे, आरक्षित सूची में से केवल उतने ही कर्मचारियों को बुलाया जाएगा।

चयन परीक्षा में शामिल होने के लिए अनुलग्नक 'ए' तथा 'बी' में उल्लिखित पात्र एवं इच्छुक कर्मचारी अनुलग्नक 'सी' के रूप में संलग्न निर्धारित प्रोफार्मा में स्पष्ट रूप से अपनी सहमति/असहमति दर्शाते हुए अपना आवेदन पत्र, अपने आसन्न पर्यवेक्षक/अधिकारी से विधिवत अग्रेषित कराकर उचित माध्यम द्वारा अपने संबंधित कार्मिक शाखा के अधिकारी के पास दिनांक **24.01.2023** को या इससे पूर्व अवश्य भिजवा दें और उसकी पावती प्राप्त कर लें। दिनांक **24.01.2023** के पश्चात प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा और उन्हें सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा। यदि किसी संबंधित कार्यालय/इकाई में कोई आवेदन प्राप्त नहीं होता है तो उस कार्यालय द्वारा मुख्यालय/मंडल/कारखाना/इकाई के संबंधित कार्मिक विभाग को इस आशय का प्रमाण दिया जाना चाहिए कि इस कार्यालय में कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

3. जाँच (छानबीन) :

नियंत्रक अधिकारियों/संबंधित कार्मिक अधिकारियों को सलाह दी जाती है कि वे अनुलग्नक - 'ए' एवं 'बी' में उल्लिखित कर्मचारियों द्वारा अनुलग्नक 'सी' में दी गई उनकी स्पष्ट सहमति/असहमति के साथ उनके विवरण इस कार्यालय में अग्रेषित करते समय उसका सत्यापन करें और उसकी सत्यता को प्रमाणित करें। संबंधित नियंत्रक अधिकारियों/संबंधित कार्मिक अधिकारियों द्वारा ऐसे सभी उम्मीदवारों के आवेदन पत्र सहित अनुलग्नक 'डी' में दिए गए प्रारूप में उनसे संबंधित समेकित विवरण (हार्ड कॉपी और एक्सल शीट में साफ्टकॉपी में) दिनांक **31.01.2023** को या इससे पूर्व प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी, उत्तर मध्य रेलवे, प्रयागराज के कार्यालय के राजपत्रित अनुभाग में भिजवा दिया जाए।

यदि कोई कर्मचारी उपर्युक्त चयन के लिए किसी भी स्तर पर अपात्र पाया जाता है तो उसकी उम्मीदवारी सरसरी तौर पर निरस्त कर दी जाएगी। निर्माण संगठन में कार्यरत उम्मीदवारों के आवेदन पत्र उप मुख्य कार्मिक अधिकारी/निर्माण, उत्तर मध्य रेलवे, प्रधान कार्यालय, प्रयागराज के माध्यम से भिजवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

कृपया नोट किया जाए कि मुख्य सूची और आरक्षित सूची में शामिल ऐसे कर्मचारी, जो दिनांक **24.01.2023** तक या इससे पूर्व चयन परीक्षा में शामिल होने के लिए अपनी सहमति/असहमित नहीं देते हैं, तो यह मान लिया जाएगा कि वे चयन परीक्षा में सम्मिलित होने के इच्छुक नहीं हैं और यदि बाद में उनके द्वारा चयन में सम्मिलित होने के संबंध में कोई दावा किया जाता है, तो किसी भी परिस्थिति में उस पर विचार नहीं किया जाएगा।

यह जरूरी नहीं है कि अनुलग्नक 'ए' एवं 'बी' में उल्लिखित ऐसे सभी उम्मीदवार जिनसे उनकी सहमति/असहमति, दो बार असफल (अनुत्तीर्ण) रहने का विवरण माँगा गया है, वे चयन परीक्षा में भाग लेने के पात्र ही होंगे। इस संबंध में उनकी पात्रता पूर्णतया अंतिम (फाइनल) एकीकृत वरीयता सूची में उनकी स्थिति पर निर्भर करेगी, क्योंकि रिक्तियों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए उम्मीदवारों को वरीयता सूची में से क्रमानुसार बुलाया जाएगा। कर्मचारियों द्वारा दी गई उनकी सहमति/असहमति तथा दो बार अनुत्तीर्ण उम्मीदवारों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए रिक्तियों की उपलब्धता के अनुसार अंतिम (फाइनल) पात्रता सूची जारी की जाएगी।

4. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के कर्मचारियों के लिए चयन पूर्व प्रशिक्षण :

रेलवे बोर्ड के दिनांक 28.08.2019 के पत्र सं. ई(जीपी)2010/2/39 (आरबीई नं. 142/2019) में दिए गए वर्तमान निर्देशों के अनुसार अनुलग्नक 'ए' एवं 'बी' में उल्लिखित अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के उम्मीदवारों को संबंधित विभाग द्वारा चयन पूर्व कोचिंग/प्रशिक्षण दिया जाना अपेक्षित है। यह आवश्यक नहीं है कि अनुलग्नक 'ए' एवं 'बी' में उल्लिखित अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के वे सभी उम्मीदवार, जिन्हें चयन पूर्व प्रशिक्षण दिया जाएगा, चयन में बुलाए ही जाएँगे। उन्हें चयन परीक्षा हेतु बुलाया जाना एकीकृत वरीयता सूची में उनकी स्थिति पर निर्भर करेगा। सभी उप मुख्य परिचालन प्रबंधक/वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक/मंडल परिचालन प्रबंधक/सहायक परिचालन प्रबंधक/प्रभारी अधिकारियों का यह व्यक्तिगत दायित्व होगा कि वे चयन पूर्व कोचिंग/प्रशिक्षण हेतु कर्मचारियों को समय से कार्यमुक्त किया जाना सुनिश्चित करें। यदि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति का कोई उम्मीदवार चयन पूर्व कोचिंग/प्रशिक्षण में भाग लेने का इच्छुक न हो, तो उससे इस संबंध में लिखित रूप में अस्वीकृति प्राप्त कर ली जाए और उसे मूल रूप में विशेष संदेशवाहक द्वारा लिखित परीक्षा (सीबीटी) की तारीख के पहले इस कार्यालय को भिजवा दिया जाए। यद्यपि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के संबंध में स्थिति को स्पष्ट करने में पूरी सावधानी बरती गई है, फिर भी अपनी ओर से भी जाँच कर ली जाए और सुनिश्चित कर लिया जाए कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति का कोई भी उम्मीदवार चयन पूर्व कोचिंग/प्रशिक्षण से छूटने न पाए। इस संबंध में इस कार्यालय को सूचित किया जाए।

उक्त कोचिंग/प्रशिक्षण के संपन्न हो जाने पर इस संबंध में एक प्रमाण पत्र तथा चयन पूर्व कोचिंग के कार्यक्रम का विवरण, तारीख, समय, स्थान, व्याख्यानदाता का नाम, विषय विवरण एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के पात्र कर्मचारियों का उपस्थिति पत्रक इस कार्यालय को अवश्य भिजवाया जाए। इस सूचना को भेजने के लिए निर्धारित प्रपत्र अनुलग्नक 'ई' के रूप में संलग्न है।

5. **पाठ्यक्रम :**

रेलवे बोर्ड के दिनांक 07.11.2022 के पत्र सं. ई(जीपी)2022/2/4 द्वारा जारी परिचालन विभाग में ग्रुप 'बी' के सहायक परिचालन प्रबंधक/सहायक यातायात प्रबंधक के पद पर पदोन्नति के लिए 70% चयन हेतु पाठ्यक्रम की प्रतिलिपि अनुलग्नक 'एफ' के रूप में संलग्न है।

6. **परीक्षा कार्यक्रम :**

रेलवे बोर्ड के दिनांक 07.10.2022 के पत्र सं. ई(जीपी)2022/2/4 के अनुसार कंप्यूटर आधारित टेस्ट (सीबीटी) के माध्यम से ली जाने वाली परीक्षा में एक प्रश्न पत्र होगा, जिसके अंतर्गत 100% केवल वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहुविकल्पीय उत्तर वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। यह प्रश्न पत्र 100 अंकों का होगा, जिसमें प्रश्नों का निम्नवत वितरण किया जाएगा :-

क	राजभाषा नीति एवं नियमों से संबंधित 10 अंक के वैकल्पिक प्रश्नों सहित व्यावसायिक विषय	:	70 अंक
ख	स्थापना और वित्त नियम	:	30 अंक
ग	अर्हता अंक	:	60 अंक - वर्तमान नियमों के अनुसार छूट सहित
घ	अवधि/समय	:	दो घंटा
च	गलत उत्तर देने पर ऋणात्मक अंक दिए जाएंगे। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक तिहाई (1/3) अंक काट लिए जाएंगे। (आरबीई नं. 53/2019 दिनांक 19.03.2019 के पैरा 4.3 के अनुसार)		

7. **लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार :**

उक्त पद पर चयन के लिए लिखित/कंप्यूटर आधारित टेस्ट परीक्षा एवं तत्पश्चात साक्षात्कार परीक्षा आयोजित की जाएगी। रेलवे बोर्ड के दिनांक 31.10.1991 के पत्र संख्या ई(जीपी)80/2/8, दिनांक 21.05.1999 एवं 18.12.2000 के पत्र संख्या 99/एच/5/3 के अनुसार लिखित/सीबीटी परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले एवं मेडिकल परीक्षण का निर्धारित मानक पास करने वाले उम्मीदवारों को ही साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा और चिकित्सा उपयुक्तता प्रमाण पत्र के बिना उम्मीदवार साक्षात्कार के लिए पात्र नहीं होंगे। इस संबंध में भारतीय रेल चिकित्सा नियमावली भाग-1, तृतीय संस्करण 2000 के पैरा 503 के साथ पठित पैरा 529 एवं 530 के प्रावधान लागू होंगे।

8. **पूरक परीक्षा :**

यदि आवश्यक हुआ, तो इस संबंध में वर्तमान नियमों और निम्नलिखित शर्तों के अधीन पूरक लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी :-

(क) इस पूरक परीक्षा में केवल उन्हीं कर्मचारियों को शामिल होने की अनुमति दी जाएगी, जिन्हें प्रशासनिक कारणों से मुख्य लिखित परीक्षा (सीबीटी) में शामिल होने से रोका गया था और जिसके लिए प्रभारी कार्मिक अधिकारी द्वारा संबंधित कर्मचारी के मुख्य परीक्षा (सीबीटी) में शामिल न हो पाने के संबंध में स्पष्ट कारण अवगत कराया जाएगा।

(ख) ऐसे कर्मचारी जो परीक्षा की तारीख के दौरान आरएमसी अथवा अन्यथा रूप से सिक में हों अथवा परीक्षा की तारीख के पहले से ही सिक में हों, तो केवल उन्हें ही चिकित्सा अधीक्षक/मंडल चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी तथा नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित और प्रभारी कार्मिक अधिकारी द्वारा विधिवत अग्रेषित इस आशय के रेलवे प्रमाण पत्र कि वे उपर्युक्त परीक्षा में शामिल होने के लिए फिट नहीं थे, को प्रस्तुत करने पर ही पूरक परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी।

यदि किसी कर्मचारी को उसकी बीमारी के कारण जी-92 जारी किया जाता है तो कृपया यह सुनिश्चित किया जाए कि ज़ी-92 फार्म पर लाल स्याही में स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया गया हो कि संबंधित कर्मचारी को अमुक तारीख को आयोजित सहायक परिचालन प्रबंधक/सहायक यातायात प्रबंधक के पद के लिए होने वाली लिखित परीक्षा (सीबीटी) में शामिल होना है।

(ग) यदि कर्मचारी किसी ऐसे कारण, जिस पर उसका कोई नियंत्रण न रहा हो, से मुख्य परीक्षा में शामिल न हो सका हो, तो उसे इस संबंध में प्रमाण स्वरूप आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने पर ही पूरक परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी। प्रमाण स्वरूप प्रस्तुत किए जाने वाले उक्त दस्तावेज उसके नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित और प्रभारी कार्मिक अधिकारी द्वारा विधिवत अग्रेषित होने चाहिए। प्रभारी कार्मिक अधिकारी द्वारा इसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाएगा कि किन कारणों से कर्मचारी मुख्य परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सका था।

(घ) उपर्युक्त पैरा (क), (ख) एवं (ग) में उल्लिखित परिस्थितियों को छोड़कर अन्य कारणों से मुख्य लिखित परीक्षा में अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारियों को पूरक लिखित परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(च) परीक्षा में शामिल होने वाले प्रत्येक उम्मीदवार का यह उत्तरदायित्व होगा कि वे उपर्युक्त परिस्थितियों के आधार पर पूरक परीक्षा में शामिल होने के लिए सीबीटी के माध्यम से लिखित परीक्षा के आयोजन के दो दिन के अंदर अपना दावा प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सभी वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी, उप मुख्य कार्मिक अधिकारी, मंडल कार्मिक अधिकारी, वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी, सहायक कार्मिक अधिकारी तथा कर्मचारियों के नियंत्रक अधिकारी व्यक्तिगत रूप से यह सुनिश्चित करें कि अनुलग्नक 'ए' और 'बी' में शामिल सभी कर्मचारियों को इस अधिसूचना से अवश्य अवगत करा दिया जाए। यह अधिसूचना मुख्यालय/मंडलों/कारखानों/इकाइयों के संबंधित कार्यालयों के प्रमुख नोटिस बोर्डों पर प्रदर्शित की जाए।

यह अधिसूचना इस रेलवे की वेबसाइट www.ncr.indianrailways.gov.in पर भी उपलब्ध है। (About us → Department → Personnel → NCR Gazetted Section → CBT)

सर्वसंबंधित और आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे इस मामले में किसी भी अपडेट के लिए नियमित रूप से ऊपर उल्लिखित एनसीआर वेबसाइट देखते रहें।

यदि हिंदी संस्करण में कोई विसंगति पाई जाती है, तो अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।

कृपया इस अधिसूचना की पावती दी जाए।

(इफ्तिखार अहमद खान)
वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/राजपत्रित
कृते महाप्रबंधक (कार्मिक)

प्रतिलिपि सूचनार्थ अग्रेषित :-

1. सचिव/महाप्रबंधक ।
2. सचिव/स्थापना (जीपी), रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली।
3. निजी सचिव-I/प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक।
4. प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी, मुख्य कार्मिक अधिकारी/प्रशा., प्रधान मुख्य चिकित्सा निदेशक।
5. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक - प्रयागराज, आगरा, झाँसी एवं कानपुर।
6. मुख्य जनसंपर्क अधिकारी।